

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-64/2017/3520/चि0-3-17-जी-153/2017टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2017
कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग ले0-2 (वेतनमान रु 15,600-39,100, ग्रेड पे-6600) के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को लेवल-3 परामर्शदाता, (वेतनमान रु 15,600-39,100, ग्रेड पे-7600) के रिक्त पदों पर प्रोन्नत करते हुए उनकी वर्तमान तैनाती स्थल पर ही तैनात किये जाने हेतु श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	वरि0क्र0	नाम
1.	10242क1	डा0 उमेश कुमार
2.	10949	डा0 राजेश्वर यादव
3.	11390	डा0 हंसराज
4.	11582क2	डा0 विजय कुमार वर्मा
5.	11586ग1	डा0 योगेश्वर प्रसाद
6.	11682	डा0 संध्या गुप्ता
7.	11791	डा0 आरती फौजदार
8.	11846	डा0 अजय कुमार सिंह
9.	11857क	डा अंजली सिंह
10.	11857क1	डा0 रीता कुमारी

2- उपर्युक्त प्रोन्नत चिकित्साधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।


संख्या-64/2017/3520 (1)/चि-3-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से सभी सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को परिचालित कराने एवं उक्त सूची को विभागीय वेबसाईट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. समस्त सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि यदि उपरोक्त चिकित्साधिकारियों में से किसी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/निलम्बन/अनधिकृत अनुपस्थित हो तो उन चिकित्सा अधिकारियों को प्रोन्नति आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यभार ग्रहण न कराकर इसकी सूचना से तत्काल शासन को अवगत कराया जाए।

7. समस्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि यदि उपरोक्त चिकित्साधिकारियों में से किसी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/निलम्बन/अनधिकृत अनुपस्थिति हो तो उन चिकित्साधिकारियों को प्रोन्नत आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यभार ग्रहण न कराकर इसकी सूचना से तत्काल शासन को अवगत कराया जाए।
8. समस्त सम्बन्धित निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला/मण्डलीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल योगदान आख्या सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
11. चिकित्सा अनुभाग-2/8।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(जे० एल० यादव)
अनु सचिव